कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौन स्थान उरई , उत्तर प्रदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

4 (1) (ख)

(i) संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य –	जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय , भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के नियंत्रण एवं निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करने , मतदाता सूची के बनाने तथा लोकसभा , विधानसभा , विधान परिषद (यथा– शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन , स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन) के निर्वाचनों से संबंधित कार्य सम्पादित करता है।
(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य–	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के अन्तर्गत निहित हैं । भारत निर्वाचन आयोग / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा सौपे जाने वाले कार्यो का अनुश्रवण दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है।
(iii) निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रकिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित हैं –	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों / नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जिले के जिलाधिकारी पदेन रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं जिनके द्वारा अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार विभिन्न कार्यक्रमों (यथा निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण, फोटो पहचान पत्र तैयार करने एवं विभिन्न निर्वाचनों को सम्पन्न कराने) का अनुश्रवण करते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 को यथा आवश्यकतानुसार रिपोर्ट भेजते हैं।
(iv) कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौन स्थान उरई द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।

(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख–	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये नियम, अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका भाग–1 व 2 , रिटर्निंग आफिसरों के लिए हस्तपुस्तिका आदि का विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं–	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो में जन–साधारण का सहयोग/परामर्श लिये जाने का प्राविधान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जनता का सहयोग लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण –	शून्य
(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका –	जिला निर्वाचन कार्यालय, जालौन स्थान उरई में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों की निर्देशिका संलग्न है **(तालिका–1)**
(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो –	–